शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 अगस्त 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

बड़वानी जिले की पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी का विश्लेषणात्मक अध्ययन

गिरधारीलाल भालसे (शोधार्थी)
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
डॉ.सुरेश काग (सहा.प्राध्यापक)
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सेंधवा (बड़वानी), मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

विकास की योजनाओं का निर्धारण और आकलन जनता के स्तर पर होना चाहिये। जब तक जनता स्वयं अपनी समस्याओं को निर्धारित नहीं करेगी तब तक सही अर्थों में प्रगति संभव नहीं होगी। यह इसलिये भी आवश्यक हो जाता है कि जब तक समाज के सदस्यों में परिवर्तन की आकांक्षा उत्पन्न नहीं होगी, इस हेतु वे स्वयं सक्रिय नहीं होंगे, तब तक ऊपर से थोपी गई योजनाओं से उनका यथार्थ में विकास नहीं हो सकता है। यही कारण है कि विकासात्मक योजनाओं में जनसहभागिता आवश्यक समझी गई तथा इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए। प्रस्तुत शोध पत्र में वास्तविक तथ्यों के आधार पर विश्लेषण किया गया है

भूमिका

पंचायतें भारत की सांस्कृतिक पहचान है। अतीत में ग्राम पंचायतें बहुत प्रभावशाली थीं। उन्हें प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। तत्कालीन राजा-महाराजाओं ने पंचायतों के कार्यों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं किया बल्कि पंचायतों के निर्णयों को वे भी मान्यता देते थे। देश की आजादी के पूर्व ही महात्मा गांधी ने ग्रामों के स्वावलम्बन और पंचायतों के पुनरूद्धार पर बल दिया था। उनके अनुसार भारत ग्रामों का देश है जब तक ग्रामों का उत्थान नहीं होगा , तब तब भारत का आर्थिक उत्थान तथा पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य पूरा नही होगा इसलिये उन्होंने ग्रामोत्थान तथा पंचायतों की स्थापना को आवश्यक माना। इसी को मूर्त रूप प्रदान करने के लिये तदनुकूल प्रावधान संविधान में किये गए।

जिले की पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के आरक्षण की स्थिति 2014-15

ग्राम पंचायतों के सरपंच पद का आरक्षण का समेकित प्रतिवेदन

क्र.	विकास खण्ड	ग्राम पंचायते	ग्राम पंचायत में प्रवर्गवार सरपंच पदों के आरक्षण की संख्या				केवल महिलाओं के लिये आरक्षण की संख्या					रिमार्क
			अजा	अजजा	अपिव	अना.	कुल	अजा	अजजा	अपिव	अना.	
1	बड़वानी	52	0	52	0	0	26		0	26	0	0

2	पाटी	45	0	45	0	0	23		0	23	0	0
3	राजपुर	66	0	66	0	0	33	0	33	0	0	
4	ठीकरी	58	0	58	0	0	29	0	29	0	0	
5	सेंधवा	114	0	114	0	0	57	0	57	0	0	
6	निवाली	42	0	42	0	0	21	0	21	0	0	
7	पानसेमल	39	0	39	0	0	20	0	20	0	0	
	योग	416	0	416	0	0	209	0	209	0	0	

स्रोत- जिला पंचायत कार्यालय बड़वानी से प्राप्त

जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण का समेकित प्रतिवेदन

क्र.	जनपद पंचायत	निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या	जनपद पंचायत में प्रवर्गवार निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की संख्या				केवल महिलाओं के लिये आरक्षण की संख्या					रिमार्क
			अजा	अजजा	अपिव	अना	कुल	अजा	अजजा	अपिव	अना.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बड़वानी	19	1	14	0	4	10	1	7	0	2	
2	पाटी	20	1	17	0	2	10	0	9	0	1	
3	राजपुर	22	1	17	0	4	11	0	9	0	2	
4	ठीकरी	19	2	10	2	5	10	1	5	1	3	
5	सेंधवा	25	1	22	0	2	13	1	11	0	1	
6	निवाली	13	1	11	0	1	7	1	6	0	0	
7	पानसेमल	14	1	11	0	2	7	0	6	0	1	
	योग	132	8	102	2	20	68	4	53	1	10	

स्रोत - जिला पंचायत कार्यालय बड़वानी से प्राप्त

बड़वानी जिले की पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी

भारतीय संविधान स्त्री-पुरूष भेद , जाति, धर्म, प्रादेशिकता आदि से परे सबको स्वतंत्रता और समानता की प्रतिभूति देता है , चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएँ शोषित रही है, अतः इन्हें संविधान के द्वारा विशेष सुरक्षा प्रदान की गई पंचायतों की स्थापना के सम्बन्ध में संविधान में किए गये 73वें संशोधन के परिपालन में मध्यप्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतों में अनुसूचित जाति , जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के कारण प्रथम बार पंचायतों और स्थानीय शासन में महिलाओं, दलितों तथा पिछड़ों की सहभागिता सुनिश्चित् की गई।

पहले राजनीति और प्रशासन का क्षेत्र महिलाओं के लिए वर्जित था। यद्यपि संविधान का अनुच्छेद-15 महिलाओं की और समुचित ध्यान देने पर बल देता है परन्तु सत्य तो यह है कि बीती शताब्दी के सातवें दशक तक इस दिशा में

कम ही काम हुआ। पंचायत राज स्थापना के बाद इस दिशा में तेजी से प्रयास हुए। इसके तहत् अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं के लिये पंचायतों तथा स्थाीनय शासन में आरक्षण की ठोस व्यवस्था की गई । मध्यप्रदेश में सभी स्तरों की पंचायतों में महिलाओं के लिये एक तिहाई स्थानों को आरक्षित किया गया। इसमें निर्वाचित महिलाओं में से बहुसंख्यक के लिये इस प्रकार के निर्वाचन में उम्मीदवार होना तथा विजय प्राप्त करना प्रथम तथा रोमांचित करने वाला अनुभव रहा। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन नें 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं हेतु सुनिश्चित किया गया परन्तु संसद और विधान मंडलों में अभी भी उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। महिला आरक्षण बिल की बात जोर-शोर से की जाती है। परन्तु संसद में पहुँचते-पहुँचते जोर खत्म हो जाता है, शोर रह जाता है।

पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण एक सुखद परिवर्तन है। इससे पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं की भी राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित् हो गई है। राजनीति के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के लोगों व महिलाओं को आगे लाने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। अभी तक पंचायतों के सदस्य अथवा जो निर्वाचन में उम्मीदवार थे उनमें अधिकांश प्रायः ग्रामीण और कस्बाई अभिजात्य परिवार के सदस्य थे। उन्हें परिवार की अभिजात्यता, परिवार के पुरूषों की राजनीतिक पहुँच तथा सक्रिय सहयोग का लाभ मिला है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण अंचलों में सामान्य और निम्न वर्गों के लोगों को भी आगे लाया जाए। बड़वानी जिला (पश्चिम निमाड़) ग्रामीण पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति, जनजाति सशक्तिकरण की राह पर तेजी से अग्रसर है।

केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों में विभिन्न निर्माण कार्यों एवं योजनाओं के लिए अनुदान राशि दी जाती है। इसके अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सांसद, विधानसभा निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वर्ण रोजगार योजना , पेंशन योजना , आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विशेष अनुदान पंचायत द्वारा स्थानीय करारोपण की राशि सम्मिलित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत् बड़वानी जिले में 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा राशि प्राप्त होती है जिसमें वर्ष भर सौ दिन का रोजगार देना सुश्चित् किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण नेतृत्व द्वारा गाँव की समस्याओं को समझने उन्हें पहचानने , ग्रामीणजन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने , विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने , प्राप्त अनुदान राशि से गाँव का विकास करने के संदर्भ में जानकारी एवं उनकी भागीदारी की विशेष महत्ता है। अनुसूचित जनजाति जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक सजगता एवं अर्थपूर्ण भागीदारी की स्थिति को जानना इस अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

स्वतन्त्रता के पश्चात् महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने हेतु समय-समय पर प्रयास किये गये। कभी ग्रामीण विकास के नाम पर और कभी समुदायिक विकास की योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को लोकतन्त्र का मूल आधार बनाने के लिए प्रयास

किया जाता रहा है। छठे दशक में पंचायतीराज की स्थापना प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल थी। इसके परिणामस्वरूप विकास में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित् हो गयी।

संदर्भ

1 शोध अवलोकन के आधार पर आधारित